विकास बहल जे. के समक्ष

मंजू बागड़ी और अन्य - *याचिकाकर्ता*

बनाम

हरियाणा राज्य – *प्रतिवादी*

CRM-M No. 42356 of 2021

अक्टूबर 08, 2021

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-S.482- अग्रिम जमानत पर याचिकाकर्ताओं कि सात एफ. आई. आर. को एक साथ जोड़ा गया - निचली अदालत द्वारा प्रत्येक एफ. आई. आर. के लिए दो-दो जमानती देने के लिए कहा गया - माना गया, अत्यधिक कठिन-आदेश - आदेश बापिस - सभी सात एफ. आई. आर. के लिए प्रत्येक आरोपी को दो जमानती देने के लिए कहा गया।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए 56 जमानती प्रस्तुत करने की शर्त अत्यधिक कठिन होगी क्योंकि सभी चार याचिकाकर्ता एक ही परिवार के हैं और हनी निषाद @मोहम्मद इमरान @विक्की के मामले (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान याचिका का निपटारा किया जाता है निचली अदालत को एक निर्देश के साथ कि याचिकाकर्ताओं को सभी सात मामलों में प्रत्येक याचिकाकर्ता के लिए एक व्यक्तिगत मुचलके को भरने पर जमानत पर रिहा किया जाए, साथ ही प्रत्येक याचिकाकर्ता के लिए दो जमानती भी, जो सभी एफ. आई. आर के लिए पर्याप्त होंगे।

(पैरा 14)

आदित्य सांघी याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता ।

प्रवीण भादु, ए.ए.जी हरियाणा।

विकास बहल, जे. (मौखिक)

(1) यह भारतीय दंड संहिता के खंड 482 के तहत दायर की गई पहली याचिका है, जिसे आरोपी/याचिकाकर्ताओं द्वारा निचली अदालत/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिसार को याचिकाकर्ताओं को या तो उनके व्यक्तिगत मुचलके पर या उन सभी सातों एफ. आई. आर. के लिए

सामान्य जमानती के साथ रिहा करने के निर्देश जारी करने के अनुरोध के साथ दायर किया गया है, जिनमें याचिकाकर्ता मुकदमे का सामना कर रहे हैं।

(2) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि वर्तमान मामले में, चार याचिकाकर्ता हैं जो एक ही परिवार से हैं क्योंकि याचिकाकर्ता Nos. 3 और 4 भाई हैं और याचिकाकर्ता Nos. 1 और 2 उनकी पत्नियां हैं। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता 7 एफ. आई. आर. में शामिल हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है। :-

1. हिसार के पुलिस स्टेशन में भा.दं.सं. सी. की धारा 406/420/409 506/120-बी के तहत दर्ज की गई एफ़. आई. आर. No. 688 दिनांक 23.07.2018 है।

2. हिसार के पुलिस स्टेशन एच. टी. एम. में भा.दं.सं. सी. की धारा 406/420 के तहत दर्ज एफ. आई. आर. No.149 दिनांक 06.04.2019 है।

3. पुलिस स्टेशन एच. टी. एम., हिसार 4 में भा.दं.सं. सी. की धारा 406/420/506/34 के तहत दर्ज एफ. आई. आर. No.127 दिनांक 26.03.2019

4. हिसार के पुलिस स्टेशन एच. टी. एम. में भा.दं.सं. सी. की धारा 406/420/506/471/467/468/120-बी के तहत दर्ज की गई एफ. आई. आर आर. No.90 दिनांक 05.03.2019.

5. हिसार के पुलिस स्टेशन एच. टी. एम. में भा.दं.सं. सी. की धारा 323/406/420/506/471/467/468/120-बी के तहत दर्ज की गई एफ. आई. आर. No.117 दिनांक 23.03.2019

6. हिसार के पुलिस स्टेशन सिटी में भा.दं.सं. सी. की धारा 406/420/409 506/166/167/120-बी के तहत दर्ज की गई एफ. आई. आर. No.638 दिनांक 11.07.2018

7. पुलिस स्टेशन सिटी हिसार में भा.दं.सं. सी. की धारा 406/420/506/ 120-बी के तहत दर्ज की गई एफ़. आई. आर. No. 243 दिनांक 24.03.2018.

(3) यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं को उपरोक्त सभी मामलों में अग्रिम जमानत दी गई थी और वे आवश्यकता पड़ने पर जांच अधिकारी के समक्ष पेश हो रहे हैं और उन्हें अग्रिम जमानत की रियायत देते समय उन पर लगाई गई शर्तों का कभी उल्लंघन नहीं किया है।

(4) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने हिसार के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (अनुलग्नक पी-14) द्वारा पारित दिनांक 27.08.2021 के आदेश का उल्लेख किया है ताकि यह दिखाया जा सके कि उपरोक्त सभी 7 एफ़. आई. आर. को एक साथ जोड़ा गया है और उनकी सुनवाई एक ही अदालत द्वारा की जानी है। आगे नोटिस दिनांकित 30.09.2021(अनुलग्नक पी-15) का भी जिक्र दिया गया है जिसमें जांच अधिकारी ने इस तथ्य का प्रेक्षित किया है कि याचिकाकर्ताओं ने जांच प्रक्रिया में भाग लिया है और उन्हें व्यक्तिगत मुचलके पर जमानत पर रिहा कर दिया गया है और उन्होंने याचिकाकर्ताओं को आगे सूचित किया था कि उपरोक्त चार मामलों में चालान तैयार किया गया है और अदालत के समक्ष पेश किया जाना है और इस प्रकार, उन्हें दो जमानती और पहचानकर्ता के साथ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था ताकि चालान को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके और याचिकाकर्ताओं को नियमित जमानत पर रिहा किया जाए।

(5) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ताओं के लिए, जो संख्या में चार हैं और एक ही परिवार से हैं, उपरोक्त 7 एफ. आई. आर में 56 जमानती की बंदोबस्त करना असंभव होगा। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि, याचिकाकर्ता निचली अदालत के समक्ष पेश होना चाहते हैं और मामले को लड़ना चाहते हैं और कानून की प्रक्रिया से बचना नहीं चाहते हैं।

(6) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 29.10.2018 के निरणय जो की Special Leave to Appeal (Crl.) No.(S) 8914-8915/2018, शीर्षक “हनी निषाद @ मोहम्मद इमरान @ विक्की बनाम राज्य उत्तर प्रदेश” है, जो की 29.10.2018 को निर्णीत है के फैसले पर भरोसा जताया है।

(7) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता प्रत्येक याचिकाकर्ता के लिए एक मुचलका प्रस्तुत करेंगे और उक्त एक मुचलका सभी 7 एफ. आई. आर के लिए पर्याप्त माना जा सकता है।

(8) प्रस्ताव की सूचना ।

(9) अग्रिम सूचना पर, श्री प्रवीण भादु, ए.ए.जी हरियाणा उपस्थित हुए और प्रतिवादी/राज्य की ओर से नोटिस स्वीकार किया और प्रस्तुत किया कि वह मामले पर बहस करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के ***“ हनी निषाद @मोहम्मद इमरान @ विक्की ” (ऊपर)*** के मुक़दमे के निर्णय का अवलोकन कर लिया है और प्रस्तुत किया है

कि उस मुक़दमे में, एक व्यक्ति के संबंध में जो 31 मुकदमों में शामिल था, दो जमानती दिए गए थे जो सभी 31 मुक़दमे के लिए सही थीं और उक्त दो जमानती के अलावा, यहां तक कि व्यक्तिगत मुचलका भी दिया जाना आवश्यक था।

(10) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने खंडन में इस तथ्य पर सहमति व्यक्त की है कि प्रत्येक याचिकाकर्ता दो जमानती देगा और निचली अदालत की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत मुचलका भी देगा। उन्होंने आगे कहा है कि प्रत्येक याचिकाकर्ता द्वारा दी गई उक्त दो जमानती को सभी 7 एफ. आई. आर के लिए पर्याप्त माना जाना चाहिए।

(11) इस न्यायालय ने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुन लिया है और पेपर बुक का अध्ययन किया है।

(12) अभिलेख के अवलोकन से पता चलेगा कि याचिकाकर्ता सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं क्योंकि याचिकाकर्ता Nos.3 और 4 भाई हैं और याचिकाकर्ता Nos.1 और 2 क्रमशः उनकी पत्नियां हैं। याचिकाकर्ता 7 मामलों में शामिल हैं और सभी उक्त मामलों में उन्हें अग्रिम जमानत की छूट दी गई है। याचिकाकर्ताओं ने कभी भी जमानत आदेशों में लगाई गई शर्तों का उल्लंघन नहीं किया है और वे विधिवत जांच में भी शामिल हुए हैं। दिनांक 27.08.2021 (अनुलग्नक पी-14) के आदेश से यह और स्पष्ट है कि सभी उक्त एफ. आई. आर. को एक साथ जोड़ा गया है और उनकी सुनवाई एक अदालत द्वारा की जानी है। दिनांक 30.09.2021 (अनुलग्नक पी-15) के नोटिस में याचिकाकर्ताओं को प्रत्येक एफ. आई. आर. में दो-दो जमानती जमा करने की आवश्यकता होती है। उसी के आधार पर, याचिकाकर्ताओं द्वारा 7 अलग-अलग एफ. आई. आर में 56 जमानतियों की आवश्यकता होगी। हनी निषाद @मोहम्मद इमरान @विक्की के मामले (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार हैः-

> "XXX XXX XXX
>
> हालाँकि, विवादित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने तत्काल मामलों में निचली अदालत द्वारा लगाई गई जमानत की शर्तों को संशोधित करते हुए निचली अदालत को सभी मुकदमों के लिए एक सामान्य जमानती और 31 मुकदमों के लिए एक-एक जमानती स्वीकार करने का निर्देश दिया है।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि भले ही अदालत ने याचिकाकर्ता को जमानत दे दी है, लेकिन याचिकाकर्ता जमानत की कठिन शर्तों के कारण जमानत मुचलका को भरने में असमर्थ है, विशेष रूप से 31 जमानती को पेश करने की शर्त।

प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, विवादित आदेश को इस हद तक संशोधित किया जाता है कि याचिकाकर्ता Rs. 30,000/- (केवल तीस हजार रुपये) के लिए एक व्यक्तिगत मुचलका भरेगा और वही मुचलका सभी 31 मुकदमों के लिए सही रहेगा। दो जमानती होंगे जो 30, 000/- रुपये के मुचलका को भरेंगे। जो मुचलका सभी 31 मामलों के लिए सही रहेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा इस प्रकार भरे गए व्यक्तिगत मुचलका और दोनों जमानती द्वारा इस प्रकार भरे गए मुचलका सभी 31 मुकदमों के लिए सही रहेंगे।

इन टिप्पणियों के साथ, विशेष अनुमति याचिकाओं का निपटारा किया जाता है।

लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।"

(13) उक्त निर्णय के अवलोकन से पता चलता है कि हालांकि, याचिकाकर्ता 31 मुकदमों में शामिल था, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को संशोधित किया था, जिसमें सभी मुकदमों के लिए एक सामान्य जमानती और 31 मुकदमों के लिए एक-एक जमानती की आवश्यकता थी, इस हद तक कि Rs.30,000/- का व्यक्तिगत मुचलका सभी 31 मामलों के लिए सही होगा और दो जमानती जो Rs.30,000/- के लिए मुचलका भी भरेंगे, जो सभी 31 मुकदमों के लिए भी सही होगा।

(14) इस प्रकार, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 56 जमानती प्रस्तुत करने की शर्त अत्यधिक कठिन होगी क्योंकि सभी चार याचिकाकर्ता एक ही परिवार के हैं और हनी निषाद @ मोहम्मद इमरान @ विक्की का मामला (ऊपर) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को भी ध्यान में रखते हुए। वर्तमान याचिका ख़ारिज की जाती है इस निर्देश के साथ कि निचली अदालत याचिकाकर्ताओं को सभी सात मामलों में प्रत्येक याचिकाकर्ता के लिए एक व्यक्तिगत मुचलका, निचली अदालत की संतुष्टि, पर भरने पर जमानत पर रिहा किया जाए, साथ ही प्रत्येक याचिकाकर्ता के लिए दो जमानती भी जो सभी 7 एफ. आई. आर के लिए पर्याप्त होगी। जमानतियों को निर्देश दिया जाता है कि वे निचली अदालत को संतुष्टि के लिए मुचलका भरेंगे। इस प्रकार, कुल मिलाकर, चार याचिकाकर्ताओं को 8 जमानतें देने की आवश्यकता होगी, जो सभी 7

एफ. आई. आर के लिए मान्य होगी और प्रत्येक को एक व्यक्तिगत मुचलका भी भरना होगा, जिसमें सभी 7 एफ. आई. आर में मान्य माना जायेगा । जमानतियों द्वारा भरी जाने वाले व्यक्तिगत मुचलका के साथ-साथ मुचलका की राशि ट्रायल कोर्ट के निर्देश के अनुसार होगी।

(15) इस प्रकार वर्तमान याचिका का उपरोक्त शर्तों में निपटारा किया जाता है।

(16) उपरोक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए सभी लंबित विविध आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

तेजिंदरबीर सिंह

अस्वीकरण :– स्थानीय भाषा में अनुवादी निर्णय वादी के सिमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भासा में समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है।सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उदेश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यावयन के उद्देश्य के लिए उपुक्त रहेगा।.

पूनम कुमारी